राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2080

11 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में रिक्तियां

2080. श्री अखिलेश प्रसाद सिंहः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस्पात क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में आज की तिथि के अनुसार कुल रिक्तियां कितनी हैं, तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस्पात क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान ईब्ल्यूएस आरक्षण के तहत विभिन्न श्रेणियों में कितनी भर्तियां की गई हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): इस्पात मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों (सीपीएसई) में रिक्तियों का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

सीपीएसई	**कार्यपालक**	**गैर-कार्यपालक**	**असंघबद्ध पर्यवेक्षक**	**कुल**
सेल	332	2226	शून्य	2558
आरआईएनएल	261	3	शून्य	264
एनएमडीसी लिमिटेड	43	431	36	510
मॉयल लिमिटेड	111	873	शून्य	984
एमएसटीसी लिमिटेड	48	96	शून्य	144
मेकॉन लिमिटेड	98	शून्य	शून्य	98
केआईओसीएल लिमिटेड	32	शून्य	शून्य	32

(ख): जी हाँ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-स्थापना (आरक्षण) तथा दिनांक 21.01.2019 के अर्धशासकीय पत्र सं. 36039/1/2019-स्थापना (आरक्षण) को आवश्यक परिवर्तनों के साथ लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 25.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20(10)/99-डीपीई-जीएम-पार्ट-2019-एफटीएस-1517 के तहत सभी सीपीएसई में लागू कर दिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा लोक उद्यम विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञापनों/अर्धशासकीय पत्र के अनुसार दिनांक 01.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली सीधी भर्ती संबंधी सभी रिक्तियों के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रभावी है।

सेल, आरआईएनएल और मेकॉन ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत क्रमशः 15 (कार्यपालक: 6 तथा गैर-कार्यपालक: 9), 69 (कार्यपालक: 1 तथा गैर-कार्यपालक: 68) तथा 01 (कार्यपालक: 1) भर्ती की है। इस मंत्रालय के अधीन अन्य सीपीएसई में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत कोई भर्ती नहीं हुई है।

****